संख्या-26/1689/26-3-2013-4(256)/94

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ- दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

विषय- अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-11012/3/2013-PCR(DESK) दिनांक 03.10.2013 एवं सलाहकार(एस.सी.डी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-11012/3/2013-PCR(DESK) दिनांक 17.07.2013 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 10.09.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथासंशोधित अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)(संशोधन) नियम, 2011 में व्यवस्थित सहायता राशि की धनराशि में लगभग 1.5 गुना वृद्धि के संबंध में अभिमत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथासंशोधित अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)(संशोधन) नियम, 2011 के अनुसार वर्तमान में लागू सहायता राशि (रू0 50,000/- से 5,00,000/- तक) में लगभग 1.5 गुना(रू0 75,000/- से 7,50,000/- तक) वृद्धि किये जाने के संबंध में राज्य सरकार की अनापत्ति व्यक्त की जाती है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in